

**Report
of
Joint Committee**

**Submitted in Reference to
Hon'ble National Green Tribunal (NGT),
Central Zonal Bench, Bhopal
Order dated 29-09-2023 in the Matter of
Original Application No. 118/2023 (CZ)
Ram Sujaan Yadav
Versus
State of Madhya Pradesh & Ors.**



**Report of Joint Committee Submitted in Reference
to
Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Central Zonal
Bench, Bhopal Order dated 29-09-2023 in the Matter
of
Original Application No. 118/2023 (CZ)
Ram Sujaan Yadav
Versus
State of Madhya Pradesh & Ors.**

Hon'ble NGT (CZ), Bhopal in OA No. 118/2023 vide its order dated 29/09/2023 in the matter of "Ram Sujaan Yadav Versus State of Madhya Pradesh & Ors." directed under para 1, 2 & 3 as :-

- 1. This Original application has been registered on the basis of a letter petition received from one Mr. Ram Sujaan Yadav resident of village Tikariya, Tehsil Kundam, District- Jabalpur, Madhya Pradesh and other residents of village Kundwara with the allegation that 20 acres of reserved forest has been taken in unauthorised possession and illegal felling of trees is being done at village Kundwara, Forest Police Post Baghraj Range Kundam, District- Jabalpur. Further allegation is that one Mr. Raju Singh Thakur (Gaur) and one named, Forest Guard have colluded and while taking illegal possession of the land, they have cut the trees of Sagwan and Satkatha and have started cultivating the said land. There is an allegation of grabbing 20 acres of reserved forest land in collusion with the forest officers.***

- 2. The letter petition involves substantial question relating to the environment and violation of the provisions of the scheduled Acts. Hence, at this stage, we deem it proper to issue notice to Mr. Raju Singh Thakur (Gaur) against whom the allegations have been made. We also deem it proper to form a joint Committee comprising the representative of the Chief Conservator of Forest, Government of Madhya Pradesh, the Secretary, MoEF&CC (integrated office at Bhopal), the Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB) and the District Magistrate, district Jabalpur, Madhya Pradesh. The District Magistrate will act as coordinating officer.**
- 3. The joint Committee will visit the spot and will ascertain the truthfulness of allegation in respect of grabbing land of the reserved forest, illegal felling of trees and any other issue found relevant on the spot and will also find out the persons responsible for the same and submit the report alongwith the remedial action within eight weeks by email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of image PDF.**

Accordingly, following officers from the concerning departments were nominated for the Joint Committee. Copy of nomination letters are enclosed as **Annexure- 1**

S. No	Name of Department	Name of Committee Member
1	Representative of District Magistrate, district Jabalpur, Madhya Pradesh	Sh. Raghuvveer Singh Maravi SDM, Revenue Kundam, District Jabalpur Madhya Pradesh
2	Representative of the Chief Conservator of Forest, Government of Madhya Pradesh	Shri M. L. Warkade Sub Divisional Forest Officer Sihora , District Jabalpur Madhya Pradesh
3	Representative of the Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB)	Dr. Yogendra Kumar Saxena Scientist – C Central Pollution Control Board R.D., Bhopal Madhya Pradesh
4	Representative of Secretary, MoEF&CC (integrated office at Bhopal)	Shri Hare Ram Kumar Technical Officer MoEF&CC Regional Office, Bhopal Madhya Pradesh

Prior to the site visit, an on-site meeting of all Committee Members was convened at reserve forest rest house. It is pertinent to mention that the Complainant was also invited to this meeting. Attendance sheet is attached as **Annexure-2.**

This report is being filed by the aforementioned Joint Committee after conducting the field visit on 24/11/2023, looking in to the issues raised by the Complainant and discussing with all department i.e. Sub Divisional Forest Officer, SDM , MoEF&CC Regional Office and CPCB.

(A) Background and Specific Issues in this matter:-

1. 20 acres of reserved forest has been taken in unauthorised possession and illegal felling of trees is being done at village Kundwara, Forest Post Baghraj Range Kundam, District- Jabalpur.
2. Further allegation is that one Mr. Raju Singh Thakur (Gaur) and one Mr. Sanjay Haldkar, Forest Guard have colluded and while taking illegal possession of the land, they have cut the trees of Sagwan and Satkatha and have started cultivating the said land.
3. There is an allegation of grabbing 20 acres of reserved forest land in collusion with the forest officers.

(B) Factual Observations:-

1. The encroached forest land i.e compartment no. R.F. 293 B, Vanagram Kundwara, Forest Range Kundam District-Jabalpur which was encroached by **Rajkumar Kulaste Alias Raju Singh Thakur (Gaund)** and Tahal Singh Marko is visited by the members of the joint committee and during the inspection it was found that at present compartment no. R.F.293 B in the possession of the Forest Department.

2. During inspection, remains of tree cutting and farming activities were found on the said land.
3. However, it was also found that in the said area about 2.02 hectares of forest area had been encroached upon by Shri Raju Singh Thakur (Gaund) and Tahal Singh Marko and a total of 51 trees of mixed species (Palas) had also been illegally cut.
4. At Present the stumps of the cut trees are present, the photo of which is attached as **Annexure-3**.
5. The KML file of the affected forest land was created which is attached as **Annexure-4**.
6. The satellite imagery of the affected forest land from the year 2018 to the year 2023 respectively are attached as **Annexure no.5** , Apart from this, no other illegal felling of trees and encroachment was found on the spot .

(C) Remedial Action Taken by Forest Department: -

According to the information given by the Forest Department, the following sequential action was taken.

1. During the investigation done by the forest department it was found that the real name of Raju singh Thakur (Gond) is Rajkumar Kulaste
2. During the routine patrolling of Range Officer Kundam Mr. Mahesh Chandra kushwah to Kundwara beat on 06.07.2023, Encroachment was found in R.F. 293 Beat Incharge Kundwara Mr. Sanjah haldkar and Range Assistant Baghrajji Mr. Ramlal Tiwari were asked about the incidence, as

they did not take any legal action, panchnama was prepared and then forest offence number 1839/07 dated 06.07.2023 and 1839/08 dated 06.07.2023 were registered against encroachers under the provision of Indian Forest Act 1927. Photocopy of POR (Preliminary Offence Report) (**Annexure-6**) and Panchnama are attached at **Annexure- 7**.

3. Letter issued by Range Officer Kundam to Range Assistant Baghraj, regarding not taking cognizance of the forest offence by official letter number/Kundam/864 dated 10.07.2023. Photocopy of the letter is attached at **Annexure 8**.
4. On 14.07.2023, the team of forest staff at forest range kundam tried to remove the encroachment and the fence of the encroached forest land was removed but due to protest by the women, the encroachment could not be evicted. A Photocopy of Panchnama is attached as **Annexure-9**. On 21.07.2023, the team of forest staff at forest range kundam tried to remove the encroachment by plowing with a tractor, but due to heavy rainfall after plowing, the encroachment could not be completely removed. A Photocopy of Panchnama is attached at **Annexure 10**.
5. On 03/08/2023 The Charge of sub range Baghraj is taken over by Shri Vinod kumar ahirwar Dy ranger.
6. letter written by Range Officer Kundam by official letter No, Kundam/995 dated 14.08.2023 to the Divisional Forest Officer, Jabalpur for disciplinary action against the Beat In-charge Kundwara Shri Sanjay Haldkar, Forest Guard and the Range Assistant, Baghraj Shri Ramlal Tiwari, Deputy Forest Range Officer, for not taking cognizance of the encroachment and being negligent. A Photocopy of the letter is attached at **Annexure 11**.

7. Sub Divisional Forest Officer Sihora in the compliance of instructions given by Divisional Forest Officer, Forest Division Jabalpur (T) dated 05.09.2023, the complaint was investigated and the statement of the complainant was taken and the complainant Ramsujan Yadav said that hi has not made any kind of complaint anywhere. The signatures given in the complaint letter are forged. A Photocopy of the statement is attached at **Annexure-12**. In the said complaint, an investigation related to encroachment and illegal felling was done in which encroachment was found in 3-3.5, acres of forest land (R.F. 293B) by Rajkumar Kulaste and Tahal Singh Marko respectively. Forest offence number 1839/07 dated 06.07.2023 and 1839/08 dated 06.07.2023 registered by Range Officer Kundam have been confirmed. About the forest offence, the statements of the beat in-charge Mr. Sanjay Haldkar, Forest Guard and the former Range Assistant Baghrajji Mr. Ramlal Tiwari, Deputy Ranger were taken. In their statement, they said that no legal action was taken by them till the visit of the Range Officer, kundam in the said forest offence. The due Photocopies of the statements are attached at **Annexure-13** and the statements of the encroachers were taken, they told in their statement that they submitted the amount of fine for forest offence to the Range Assistant Baghrajji Mr. Vinod Ahirwar, Deputy Forest Ranger the amount paid by Rajkumar Kulaste and Tahal Singh Marko Rs. 21179/- and Rs. 14501/- respectively On 21.08.2023. The recovery of the aforesaid fine amount was done without the prior approval of the competent authority and a raw receipt was given to the concerned in handwritten form. A Photocopy of which is attached as **Annexure-14**.

8. Money receipt number 3044/41 dated 09.09.2023 amounting to 7060/-, 3044/43 amounting to 7060/- dated 11.09.2023 and 3044/45 amounting to 7060/- dated 12.09.2023 were issued for the amount received from accused Rajkumar Kulaste. The photocopies of which are attached at **Annexure-15** and the said amount was deposited in the treasury through challan of Rs. 7060/- on 16.09.2023, 7060/- on 18.09.2023 and 7060/- on 18.09.2023. The Photocopies of which are attached as **Annexure 16**.
9. Money receipt number 3044/42 dated 09.09.2023 amounting to 7394/- and 3044/44 dated 12.09.2023 amounting to 7394/- has been issued for the amount received from accused Shri Tahal Singh Marko. The Photocopies of which are attached at **Annexure-17** and the said amount was deposited in the treasury through challan amounting to Rs. 7394/- on 16.09.2023 and Rs. 7394/- on 18.09.2023 whose photocopies are attached as **Annexure-18**.
10. In the said complaint, then Beat in charge Shri Sanjay Haldkar, Forest Guard (suspended) and the then Range Assistant Baghraj Shri Ramlal Tiwari Deputy Forest Ranger despite having information about the occurrence of forest offence no legal action was taken by either of them as a result, a report was sent to the Divisional Forest Officer, Jabalpur, vide official letter No./sdof/2200 dated 06.09.2023, along with recommendations for disciplinary action against the concerned employees, a photocopy of which is attached as **Annexure 19**.
11. Due to negligence and irresponsibility towards work the Divisional Forest Officer Jabalpur, suspended the beat in-charge Mr. Sanjay Haldkar, Forest Guard with immediate effect through his order no. 829 Jabalpur, dated 08.09.2023. Photocopy of the order is attached as **Annexure-20**.

12. In the matter Range Assistant Baghraji Shri Vinod Kumar Ahirwar, Deputy Forest Ranger was suspended with immediate effect by Divisional Forest Officer, Jabalpur; vide his order number / 828 Jabalpur, dated 08.09.2023, due to negligence and indifference towards duty in the matter. A Photocopy of the order is attached at **Annexure-21**.
13. A show cause notice was issued by the Divisional Forest Officer, Jabalpur vide Official letter No./Establishment/2944 Jabalpur, dated 21.09.2023, to former Range Assistant Baghraji Shri Ramlal Tiwari, Deputy Forest Ranger and when the reply was not found satisfactory, an official letter no./Establishment/3526 Jabalpur, dated 31.10.2023, charge sheet issued for the establishment of departmental inquiry. Photocopies of the letters are attached at **Annexure-22**.
14. Fine for illegal felling of trees is submitted by both accused and After completion of investigation challan is presented against the accused Rajkumar Kulaste And Tahal Singh Marko under section 26 (1) (A) and 26 (1) (H) of India Forest Act 1927 Before the Honorable District Court Jabalpur on 16.10.2023. Whose RCT (Regular Criminal Trial) number is 29840/2023 which is under trial photocopy of which is attached at **Annexure- 23**.
15. On 06.11.2023, encroachment was evicted by the team of Forest Range Kundam by digging 176 pits with the machine, the panchnama and photograph of which are attached at **Annexure-24 and Annexure-3** respectively.
16. In relation to the above complaint, the Forest Department has taken action as per the departmental procedure against the encroachers and disciplinary action has also been taken against the employees who are

responsible for negligence at present, the said forest land is under the control of the Forest Department.

(D) Recommendation:-

1. The forest area which has been damaged should be replanted with fencing using local species.
2. Fencing of the forest area should be done properly.
3. The Daily diary should be maintained properly.




Dr. Yogendra Kumar Saxena
Scientist - C
Central Pollution Control Board
R.D., Bhopal
Madhya Pradesh



Raghuveer Singh Marawi
SDM, Revenue
Kundam, District Jabalpur
Madhya Pradesh



Hare Ram Kumar
Technical Officer
MoEF&CC
Regional Office, Bhopal
Madhya Pradesh



M. L. Warkade
Sub Divisional Forest Officer
Sihora, District Jabalpur
Madhya Pradesh

कार्यालय कलेक्टर, जबलपुर

क्रमांक / 633 / लीगल सेल / 2023

जबलपुर, दिनांक 31/10/2023

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी,
कुण्डम
जिला-जबलपुर

विषय :- **Original Application No. 118/2023 (CZ)** राम सुजान यादव विरुद्ध मप्र शासन व अन्य के संबंध में।

संदर्भ :- माननीय एन.जी.टी. बेंच भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2023

---:000:---

कृपया उपरोक्त विषयागत संदर्भित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। (छायाप्रति संलग्न है।) माननीय एन.जी.टी. द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया है। जिसमें मुख्य वन संरक्षक म.प्र., सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल) सदस्य सचिव केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं कलेक्टर जबलपुर के प्रतिनिधि शामिल हैं। उक्त आदेश के पैरा 3 में निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है:-

3. The joint Committee will visit the spot and will ascertain the truthfulness of allegation in respect of grabbing land of the reserved forest, illegal felling of trees and any other issue found relevant on the spot and will also find out the persons responsible for the same and submit the report alongwith the remedial action within eight weeks by email at ngtzbhho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF-OCR support PDF and not in the form of image PDF.

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु कलेक्टर जबलपुर की ओर से आपको प्रकरण का प्रभारी अधिकारी/प्रतिनिधि नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेशानुसार गठित समिति के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर दिनांक 20.11.2023 के पूर्व संयुक्त जांच कर प्रतिवेदन अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(सौरभ के. सुमन)

कलेक्टर
जिला-जबलपुर

क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य), भोपाल
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



आदेश नं./एन.जी.टी. ऑ.ए- 118/2023(CZ)/ 350

दिनांक 23 नवंबर 2023

प्रति

कलेक्टर

साउथ सिविल लाईन
जबलपुर-482001

Most urgent
NGT Case

विषय: NGT OA No. 118/2023(CZ) "Ram Sujaan Yadav Vs. State of Madhya Pradesh & Ors." में
अधिकारी के नामांकन बाबत।

संदर्भ: माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2023

भवदीय,

कृपया माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 28.09.2023 को विषयवित्त प्रकरण में पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट कर (छायाप्रति संलग्न है)। सूचित है कि विषयवित्त प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया है जिसमें मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश शासन, रायचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय - भोपाल) सदस्य रायचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कलेक्टर जबलपुर के प्रतिनिधि शामिल हैं। उक्त आदेश के माध्यम से समिति को निम्नानुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया है-

"3. The joint Committee will visit the spot and will ascertain the truthfulness of allegation in respect of grabbing land of the reserved forest, illegal felling of trees and any other issue found relevant on the spot and will also find out the persons responsible for the same and submit the report alongwith the remedial action within eight weeks."

उपरोक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन 08 सप्ताह के भीतर माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिला कलेक्टर, जबलपुर नोडल एजेंसी होंगी। प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 30.11.2023 नियत है।

उक्त कार्य हेतु इस कार्यालय से श्री सुनील कुमार मीणा वैज्ञानिक घ को जगह डॉ. योगेन्द्र कुमार सक्सेना, वैज्ञानिक 'ग' (मोबाइल नं. 9425677776, ईमेल- dryksaxena@yahoo.com) को नामित किया जाता है। उनके द्वारा निर्धारित तिथि पर उपरोक्त कार्य हेतु संयुक्त समिति के साथ सम्मिलित होकर कार्य किया जावेगा ताकि माननीय एन.जी.टी. द्वारा नियत तिथि के पूर्व प्रतिवेदन माननीय एन.जी.टी. के समक्ष नोडल एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि

- (1) मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
- (2) एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल
- (3) डॉ. योगेन्द्र कुमार सक्सेना, वैज्ञानिक 'ग', के.प्र.नि.बोर्ड, भोपाल

की ओर कृपया सूचनाथ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्षेत्रीय निदेशक

"राजभाषा हिन्दी में पत्र व्यवहार का स्वागत है"

पता: "परिवेश भवन"

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

ईपीएबीएक्स : 0755-2775385, 2775386

क्षेत्रीय निदेशक डायरेक्ट : 0755-2775384

ई-मेल: cpcb.bhopal@gov.in, वेबसाइट: www.cpcb.nic.in

PH

मुख्यालय:

परिवेश भवन

पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

दूरभाष क्र : 011-43102030

"सिंगल यूज प्लास्टिक" का करें बहिष्कार

कार्यालय मध्य वन वृत्त, स्टेशन रोड, जबलपुर म.प्र.पिन कोड 482001

Telephone No.761-2624341, Fax No.-0761-2625688, E.Mall ccf.ibt@mp.gov.in

क्रमांक / विधि / 6725

जबलपुर, दिनांक 09/10/2023

प्रति,

जिला दण्डाधिकारी

जबलपुर (म0प्र0)

विषय:- OA No 118/2023 (CZ) द्वारा श्री रामसुजान यादव विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य के संबंध में


संदर्भ:- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन बेंच भोपाल का पत्र दिनांक 29.09.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण के संबंध में यह लेख कर अनुरोध है कि श्री राम सुजान यादव निवासी टिटरिया तहसील कुंडम जिला जबलपुर के द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन बेंच भोपाल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए लेख किया गया कि ग्राम कुंदवारा, वनचौकी बघराजी, वन परिक्षेत्र कुंडम अंतर्गत लगभग 20 एकड़ आरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण के साथ-साथ अवैध वृक्षों की कटाई की गई है जिसमें वन विभाग के कर्मचारी भी संलिप्त रहे हैं।

श्री राम सुजान यादव (आवेदक) के आवेदन पत्र का निराकरण करते हुये माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन बेंच भोपाल में दिनांक 29.09.2023 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की कंडिका 2 में संयुक्त समिति का गठन किया गया है और आदेश की कंडिका 3 में यह निर्देशित किया है कि संयुक्त समिति के द्वारा स्थल निरीक्षण करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र में दर्शाए गए बिंदुओं की सत्यता संबंधी जांच की जावे और जांच निष्कर्ष के आधार पर प्रतिवेदन एवं इसके अतिरिक्त भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस संबंध में प्रतिवेदन 8 सप्ताह के भीतर ई-मेल द्वारा प्रेषित किए जावे।

उपरोक्त विषयांतर्गत आदेश दिनांक 29.09.2023 के परिपालन में उप वन मंडल अधिकारी सिहोरा को संयुक्त समिति में प्रतिनिधित्व करने हेतु नामांकित किया जाता है। उपरोक्त विषयांतर्गत आदेश दिनांक 29.09.2023 की प्रति एवं श्री राम सुजान यादव (आवेदक) के आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न कर परिशीलनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार


(कमल अरोरा) भा0व0से0

वन संरक्षक

मध्य वन वृत्त, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 09/10/2023

पृष्ठांकन क्रमांक / विधि / 6726

प्रतिलिपि :- वनमंडल अधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर एवं उप वनमंडल अधिकारी सिहोरा की ओर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन बेंच भोपाल के आदेश दिनांक 29.09.2023 की छायाप्रति संलग्न कर परिशीलनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार


वन संरक्षक

मध्य वन वृत्त, जबलपुर



सत्यमेव जयते

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL
KendriyaParyavaranBhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL-462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525, 2426611E-mail: ro.wz.forest@nic.in

क्रमांक: 5-3/2023(FOR)/

दिनांक: 07/11/2023

प्रति,

1. मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त कार्यालय
जबलपुर (म.प्र.) |
2. जिला मजिस्ट्रेट
जबलपुर (म.प्र.) |

विषय: एन.जी.टी -भोपाल में लंबित O.A. क्रं. 118/2023 में याचिकाकर्ता श्री राम सुरजन यादव विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में संयुक्त निरीक्षण हेतु द्वारा अधिकारी के नामांकन बाबत।

संदर्भ: माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2023।

महोदय,

विषयान्तर्गत निर्देशानुसार यह लंबित है कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2023 में प्रतिनिधि सहित एक संयुक्त समिति का गठन करना है जिसमें मुख्य वन संरक्षक म.प्र. शासन, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (भोपाल में एकीकृत कार्यालय- वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय-भोपाल), सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और जिला मजिस्ट्रेट, जिला जबलपुर मध्य प्रदेश एवं जिला मजिस्ट्रेट, समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

उक्त कार्य हेतु इस कार्यालय से श्रीमती. प्राची गंगवार, उप. वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) (मोबाइल न. 9453601717 ई-मेल-gangwarprachi78@gmail.com) को नामांकित किया गया है |

अतः अनुरोध है की संयुक्त निरीक्षण की तिथि सभी सदस्यों की सहमति से निर्धारित कर इस कार्यालय को सूचित करने की कृपा करे |

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Signed by Hare Ram Kumar

Date: 07-11-2023 16:41:40

Reason: Approved

तबनीकी अधिकारी (वन)

Annexure-2

Attendance for Joint Inspection of NGT Court
Case No - OA-118/2023 (CZ) -

Ram Sujan Yadav Vs State of MP and others
Date of Site visit/inspection - 24-11-2023


Date - 24-11-2023

S.N.	Name and Designation	Signature/Mob No
1	Dr. Yogendra Kumar Saveria, Sui-C	Y.K. Saveria 24-11-2023 9425677776
2	Raghuvendra Singh Maravi SDM	R.S. 9406759038
3	M.L. Warkade, S.D.O. Sihora	M.L. Warkade 24/11/23 9424792664 7354386835
4	Hare Ram Kumar, TO, MoEF & CC RO, Bhopal	H.R. Kumar 24-11-23
5	Mahesh chandra kushwah F.R.O. Khandamati	M.C. Kushwah 24/11/2023 7828879431
6	राजेश्वर सिंह रावत	R.S. 9424751117 24-11-2023
7		

Annexure-3





Stumps of the cut trees



Stumps of the cut trees



Farming Residue



Digging pits with the machine



On-site meeting of all Committee Members





Field visit on 24/11/2023

Encroached area map Google image 2023

Annexure-4

Legend




Google Earth

Encroached area map Google image 2018
Annexure - 5 (20-23)

Legend
INDIA
20

Google Earth


© 2023 CNES / Airbus



Encroached area map Google image 2020


Legend
INDIA
21

Google Earth




Encroached area map Google image 2022

Legend




Google Earth



Encroached area map Google image 2023

Legend
INDIA
23

Google Earth





(MPFO-3-2004)
द्वितीय प्रति
(परिक्षेत्र प्रति)

1839

क्रमांक पृष्ठ क्रमांक 7

प्राथमिक वन अपराध प्रतिवेदन

वेदन दिनांक 06/07/23

मण्डल जबलपुर परिक्षेत्र कुण्डम
बीट कुंदरा परिक्षेत्र सहायक वृत्त बय्यराजी

1	अपराधी का नाम, पिता, उम्र एवं पता
1.	राजकुमार कुलश्रेष्ठ S/O बलकृष्ण
2.	कुलश्रेष्ठ साहित कुंदरा
3.	
2	वन अपराध का प्रकार :- <u>क्रा.ब.अ. 1927डी</u> अवैध कटाई / परिवहन / अतिक्रमण / <u>दाया 26(ब)</u> खनन / शिकार / चराई / आग लगाना / <u>ब(ड)</u> आरा मशीन / सीमा चिह्न बदलना / अन्य
3	वन अपराध घटित / संज्ञान होने का स्थल :- <u>RF 253(B)</u>
4	वन अपराध घटित होने की तिथि / अनुमानित अवधि :- <u>06/07/23</u>
5	जप्तशुदा वनोपज / वाहन / औजार एवं अन्य सामग्री का संक्षिप्त विवरण :- (सूची संलग्न है)
6	गवाहों के नाम एवं पता :- 1 <u>रविन्द्र सिंह साहित कुंदरा</u> 2 <u>राजकुमार बर्मन साहित कुंदरा</u>
7	घटना का संक्षिप्त विवरण :- <u>RF 253(B) में अवैध कटाई एवं अवैध अतिक्रमण</u>
8	वन अधिकारी के हस्ताक्षर नाम : <u>सुरेश कुमार</u> पद : <u>बीट प्रकाश कुंदरा</u>
9	परिक्षेत्र वन अपराध पंजी का अनुक्रमांक एवं दिनांक



(MPFO-3-2004)
तृतीय प्रति
(वनमण्डल प्रति)

1839

पुस्तक क्रमांक पृष्ठ क्रमांक

प्राथमिक वन अपराध प्रतिवेदन

प्रतिवेदन दिनांक 06/07/23

वनमण्डल जबलपुर परिक्षेत्र कुण्डम
बीट कुंदरा परिक्षेत्र सहायक वृत्त बय्यराजी

1	अपराधी का नाम, पिता, उम्र एवं पता
1.	राजकुमार कुलश्रेष्ठ S/O बलकृष्ण
2.	कुलश्रेष्ठ साहित कुंदरा
3.	
2	वन अपराध का प्रकार :- <u>क्रा.ब.अ. 1927डी</u> अवैध कटाई / परिवहन / अतिक्रमण / <u>दाया 26(ड)</u> उत्खनन / शिकार / चराई / आग लगाना / <u>ब(ज)</u> आरा मशीन / सीमा चिह्न बदलना / अन्य
3	वन अपराध घटित / संज्ञान होने का स्थल :- <u>RF 253(B)</u>
4	वन अपराध घटित होने की तिथि / अनुमानित अवधि :- <u>06/07/23</u>
5	जप्तशुदा वनोपज / वाहन / औजार एवं अन्य सामग्री का संक्षिप्त विवरण :- (सूची संलग्न है)
6	गवाहों के नाम एवं पता :- 1 <u>रविन्द्र सिंह साहित कुंदरा</u> 2 <u>राजकुमार बर्मन साहित कुंदरा</u>
7	घटना का संक्षिप्त विवरण :- <u>RF 253(B) में अवैध कटाई एवं अवैध अतिक्रमण</u>
8	वन अधिकारी के हस्ताक्षर नाम : <u>सुरेश कुमार</u> पद : <u>बीट प्रकाश कुंदरा</u>
9	परिक्षेत्र वन अपराध पंजी का अनुक्रमांक एवं दिनांक

वापिस हुंठ क्रमांक ÷ 09 है

24

दस्तावेज
107/23
सुरेश

OGR.No ÷ 123/07/



(MPFO-3-2004)
द्वितीय प्रति
(परिक्षेत्र प्रति)

1839

वन विभाग

8

पुस्तक क्रमांक पुस्तक क्रमांक

प्राथमिक वन अपराध प्रतिवेदन

प्रतिवेदन दिनांक 06/07/23

वनमण्डल उबलपुर परिक्षेत्र कुण्डम
बीट कुदवाड़ा परिक्षेत्र सहायक वृत्त बक्यारी

1	अपराधी का नाम, पिता, उम्र एवं पता
1.	रहेल सिंह 510 घरे सिंह
2.	शाहिन कुदवाड़ा
3.	
2	वन अपराध का प्रकार :- <u>जा.व.अ. 1927 डी</u> अवैध कटाई / परिवहन / अतिक्रमण / <u>घात 26(ड)</u> उत्खनन / शिकार / चराई / आग लगाना / <u>व(ज)</u> आरा मशीन / सीमा चिह्न बदलना / अन्य
3	वन अपराध घटित / संज्ञान होने का स्थल :- <u>RF 293(B)</u>
4	वन अपराध घटित होने की तिथि / अनुमानित अवधि :- <u>06/07/23</u>
5	जप्तशुदा वनोपज / वाहन / औजार एवं अन्य सामग्री का संक्षिप्त विवरण :- <u>कुची संलग्न</u> (सूची संलग्न है)
6	गवाहों के नाम एवं पता :- 1 <u>रहेल सिंह शाहिन कुदवाड़ा</u> 2 <u>सर सुमार बर्मन शाहिन कुदवाड़ा</u>
7	घटना का संक्षिप्त विवरण :- <u>RF 293(B) में अवैध कटाई एवं अवैध अतिक्रमण</u>
8	वन अधिकारी के हस्ताक्षर नाम : <u>संजय कृष्ण</u> पद : <u>बीट प्रभारी कुदवाड़ा</u>
9	परिक्षेत्र वन अपराध पंजी का अनुक्रमांक एवं दिनांक

शाकेमुभो-868-प्रमुवसंभो-20-9-2005-50,000.



(MPFO-3-2004)
तृतीय प्रति
(वनमण्डल प्रति)

1839

विभाग

8

पुस्तक क्रमांक पुस्तक क्रमांक

प्राथमिक वन अपराध प्रतिवेदन

प्रतिवेदन दिनांक 06/7/23

वनमण्डल उबलपुर परिक्षेत्र कुण्डम
बीट कुदवाड़ा परिक्षेत्र सहायक वृत्त बक्यारी

1	अपराधी का नाम, पिता, उम्र एवं पता
1.	रहेल सिंह 510 घरे सिंह
2.	शाहिन कुदवाड़ा
3.	
2	वन अपराध का प्रकार :- <u>जा.व.अ. 1927 डी</u> अवैध कटाई / परिवहन / अतिक्रमण / <u>घात 26(ड)</u> उत्खनन / शिकार / चराई / आग लगाना / <u>व(ज)</u> आरा मशीन / सीमा चिह्न बदलना / अन्य
3	वन अपराध घटित / संज्ञान होने का स्थल :- <u>RF 293(B)</u>
4	वन अपराध घटित होने की तिथि / अनुमानित अवधि :- <u>06/07/23</u>
5	जप्तशुदा वनोपज / वाहन / औजार एवं अन्य सामग्री का संक्षिप्त विवरण :- <u>कुची संलग्न</u> (सूची संलग्न है)
6	गवाहों के नाम एवं पता :- 1 <u>रहेल सिंह शाहिन कुदवाड़ा</u> 2 <u>सर सुमार बर्मन शाहिन कुदवाड़ा</u>
7	घटना का संक्षिप्त विवरण :- <u>RF 293(B) में अवैध कटाई एवं अवैध अतिक्रमण</u>
8	वन अधिकारी के हस्ताक्षर नाम : <u>संजय कृष्ण</u> पद : <u>बीट प्रभारी कुदवाड़ा</u>
9	परिक्षेत्र वन अपराध पंजी का अनुक्रमांक एवं दिनांक

शाकेमुभो-868-प्रमुवसंभो-20-9-2005-50,000.

वापिस कुंठ क्रमांक :- 40 से 59 तक

वसुंधरा






माँडा पंचनामा
— x — x —

हम पंचगण यह मंत्र मंत्र लम्बी करने हैं कि दिनांक 06/07/2023 को श्रीमान बनपरिसेठ अधिकारी देपुवास के दौरान बीर कुंवरगण वृत्त बखराजी के क्लस. 293 अंश में किया गया। अंश के दौरान लगभग 02 हैं। वनकुमि अवैध रूप से जुलाई कर अतिक्रमण पाया गया। विशेष संबंध से माँडे पर उपस्थित परिसेठ अहाय बखराजी व बीरकुमि से अतिक्रमण के संबंध में पुनरावृत्ति की गई एवं यह पाया गया अतिक्रमण के संबंध में यह अतिक्रमण को जानबूझी पूर्व से वीर कुमि संबंधित साथ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

पंचनामा शकी पंचो के समक्ष पता एवं गया जो कि सत्य एवं सही है।

Tanmay
पंचनामा सेठ द्वारा
लिखा गया।

पंचो के नाम व हस्ताक्षर

- ① श्री रामलाल तिवारी प. अहा. बखराजी 
- ② श्री अजय हलधर बीरकुमि कुंवरगण 
- ③ श्री अंबुलाल बर्मन इन्डस्ट्री कुंवरगण 
- ④ श्री वितेन्द्र 
- ⑤ श्री रमेश सिंह साहित कुंवरगण 
- ⑥ श्री रामजी महर साहित पटनाबला 

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, सामान्य कुंडम

क्रमांक/कुण्डम/864

दिनांक/10/07/2023

प्रति,

श्री रामलाल तिवारी
उपवनक्षेत्रपाल
परिक्षेत्र सहायक बघराजी

विषय :- बीट कुंदवारा के कक्ष क्रमांक RF 293 B में अतिक्रमण हो जाने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बावद।

—//—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 06/07/2023 को बीट कुंदवारा के कक्ष क्रमांक RF 293 B भ्रमण किया गया तो भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि बीट कुंदवारा के कक्ष क्रमांक RF 293 B रकवा लगभग 02.00 हेक्टर में अतिक्रमण कर वनक्षेत्र के अन्दर जुताई कर खेती किया जा रहा है। जबकि इस संबंध में आपको बीट प्रभारी द्वारा सूचना दी गई थी किन्तु आपके द्वारा कोई कार्यवाही ही की गई है। जो कि अत्यंत खेद का विषय है जबकि इस संबंध में मेरे द्वारा बार-बार मौखिक रूप से निर्देशित किये जाने के बाद भी आपके बीट कुंदवारा के कक्ष क्रमांक RF 293 B में अतिक्रमण पाया गया है। जिसमें आपकी संलिप्ता नजर आती है।

अतः आपको लेख किया जाता है कि बीट कुंदवारा के कक्ष क्रमांक RF 293 B रकवा लगभग 02:00 हेक्टर में हुए अतिक्रमण को बेदखल कर दो दिवस के अन्दर सूचना इस कार्यालय में प्रस्तुत करें एवं अतिक्रमण के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अन्यथा आपके विरुद्ध वनक्षेत्र में किये गये अतिक्रमण के संबंध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु वरिष्ठ को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जावे। जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुंडम (सा0)

एक प्रतिलिपि प्राप्त

किया

13/7/2023
पसपनरी

होगा पंचनामा तैयार करते हैं कि शाजा दिनांक
 14/07/2022 को भी कुम्हार अन्तर्गत कक्ष को
 स 293 (B) में भी गए अतिक्रमण रोकने
 कुलम्हे 50 बलबाद कुलम्हे साठिन कुम्हारों
 एवं रहल सिंह व 00 ररि सिंह साठिन कुम्हार
 के द्वारा अतिक्रमण क्षेत्र में अवेध बागड लागत
 उमा शा जिसके परिवार समाक अहाजी, सत व
 सत गेरा, हावामी का समस्त श्राद्ध दृष्टका
 गा रहा गा तभी अतिक्रमणकक्ष के परिजन
 महिलाएँ शा गई एवं उनके द्वारा बागड
 न हटाने की कोशिश की गई जिस पर उ
 कावमाइश डी गई कि आप सरकारी कार्य में
 बाधा न डालें जिससे वे लोग भीका + धर
 बापस रहे गये एवं इसके उपरान्त चारों ओ
 की बागड को साफकरा मुक्त कराया गया।

पंचनामा सभी चर्चों के समक्ष नि

एवं पद सुनकर सभी ने अपने हस्ताक्षर/अप
 ठिये से सत्य है | पंचनामा में धरा लिखा गया।

पंचों के नाम

Alakshy
 मंडल कुमा (क/पि) 48

पंचनामा में सत्य लिखा


- 1) जितेंद्र अग्रवाल व.र. Jitendra
- 2) तन्मय डकुर व.र. Tannay
- 3) जेठ राजा व.र. Jethu
- 4) संजीव शहा व.र. Sanjiv
- 5) राम सिंह व.र. Ram
- 6) शक्ति सिंह का सुरक्षा समिठ Shakti
- 7) रामजी गाडव का सुरक्षा समिठ Ramji
- 8) गोमन सिंह का सुरक्षा समिठ Goman
- 9) सु. स्वामी कुमे व.र. Su

रामलाल
 प.स. 0000
 अन

हम पंचगण इस बात की सच-सच तस्दीक करते हैं कि आज-दिनांक 21/07/2023 को वन परिषद अधिकारी के मौखिक निर्देशानुसार वन विभाग गड कुंदवाश भास पं. क. बघराजी के निर्देशन में वीट कुंदवाश के कस के. RF-293(B) में हुए भतिक्रमण को हटाने के लिए ड्रैक्टर् ^{2020DA}/₃₄₈₃ लेकर भतिक्रमण क्षेत्र पहुँचकर श्रवण का चिह्न कर पुतार करार तथा जमीन को भतिक्रमण मुक्त किया | भतिक्रमणकर्ता राजकुमार कुलहते से टहल भर्ती साकिन कुंदवाश के द्वारा जमीन घोड़ने का राजीनामा लेकर पंचनामा तैयार किया गया।

पंचनामा पंचों के समक्ष लिखा गया पढकर सुनाया गया सही पाये जाने पर अंगूठा हस्ताक्षर किया

पंचनामा मेरे समक्ष लिखा गया


रामलाल तिवारी
उपवन संतोषपाल

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया
J. Appal,
जि. त. अ. ग. ब. त. (

पंचों के नाम
X

हस्ताक्षर

- ① शैल रफीक (व.र.)
- ② तन्मय गकुर (व.र.)
- ③ संकित गकुर (व.र.)
- ④ क. स्वाति डने (व.र.)
- ⑤ कु. श्रीमति अथा (व.र.)
- ⑥ शिबनु लाल (स्थायिकर्मी)
- ⑦ इबक (स्थायिकर्मी)


व.र.
Tannay
G. R.
Ankit
G. R.
Dity
Dity
शिबनु लाल
4.

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, सामान्य कुंडम

क्रमांक/कुंडम/११५

दिनांक/14/08/2023

प्रति,

वनमण्डल अधिकारी
(सा.) वनमण्डल जबलपुर

द्वारा :- उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा (सा.)

विषय :- बीट कुंदवारा के कक्ष क्रमांक RF 293 B में अतिक्रमण हो जाने के संबंध में तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक बघराजी एवं बीट प्रभारी कुंदवारा के विरुद्ध अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही करने बावद।

—//—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मेरे द्वारा दिनांक 06/07/2023 को बीट कुंदवारा के कक्ष क्रमांक RF 293 B भ्रमण किया गया तो भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि बीट कुंदवारा के कक्ष क्रमांक RF 293 B रकबा लगभग 02.00 हेक्ट. में अतिक्रमण कर वनक्षेत्र के अन्दर जुताई कर खेती किया जा रहा है। एवं इस संबंध परिक्षेत्र सहायक बघराजी श्री रामलाल तिवारी उप वनक्षेत्रपाल एवं बीट प्रभारी कुंदवारा श्री संजय हल्दकार वनरक्षक से पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान यह निष्कर्ष निकला की उक्त अतिक्रमण की जानकारी पूर्व से परिक्षेत्र सहायक बघराजी एवं बीटगार्ड कुंदवारा को थी किन्तु इन दोनों के द्वारा कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई। जिससे उक्त अतिक्रमण में इनकी संलिपता का संदेह है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त दोनों कर्मचारियों के खिलाफ म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही करने की अनुशांसा सहित प्रतिवेदन आपकी ओर सादर संप्रेषित है।

संलग्न :- मौका पंचनामा एवं जी.पी.एस. सहित छायाचित्र।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुंडम (सा0)

OLC

ख्यान
— x — y —

दिनांक: 05/09/2023
स्थान: वन विभाग गृह इकाई

श्री संजय हल्दवार 510 सी किराया नाल हल्दवार

वनशासक वीर प्रभासी कुतवाश वन परिशोध कुण्डम विना जलवापुर

मेश प्रश्न - प्रश्न ख्यान है कि आज दिनांक

05/09/2023 को श्रीमान उपवनमण्डल अधिकारी महोदय विनोद के प्रश्न उपरोक्त क्षेत्र ख्यान दर्ज कराते रहा हूँ कि वन गणक कुतवाश के स्तरीय विवरण कार्टेज में भी गई अनिश्चयता एवं अलैक्य कार्ड के संबंध में भी गई जिनायत के बारे में पुष्टता ही गई। मैं अगस्त 2012 से लेकर आज दिनांक तक वीर प्रभासी कुतवाश की हेमियत से पटवरा हूँ। मेरी पटवियन के वीरान विनी की प्रशासकी अलैक्य कार्ड व प्राय कार्ड पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। बा ही शत्रुकुमार कुतवाश 510 वनगणक कुतवाश के साथ व्यवसायिक पारिवर्तीय नहीं चलता है। जुलाई 2022 में शत्रुकुमार कुतवाश एवं रहल सिंह के द्वारा वनशोध 2F 293/31 में प्राय पर अनिश्चयता वृत्त चान का फलन बोसा गया है। उसी मुचन मौखिक रूप: वनविभाग परि. महा. बफारी श्री रामजानविजरी को जो दिया। एवं मेरे द्वारा अनिश्चयता के समय में कार्ड की प्रशासकी नहीं की गई। दिनांक 06/09/2023 परिशोध अधिकारी कुण्डम के वीरान के वीरान कुतवाश एवं परि. महा. श्रीविजरी को अनिश्चयता के जोड़ा प्रश्न पर लेकर गणक वनमण्डल मौखिक विनीक्षण इव 2F 293/31 में शत्रुकुमार कुतवाश एवं रहल सिंह के बिकर वीरानिद अमलाही करने व वन अपराध प्रकरण दर्ज करने के विवेक विव गणक मेरे द्वारा वन अपराध प्रकरण सं. 1839/23 दिनांक 05/09/23 दर्ज किया गया। किन्तु आज दिनांक तक दोनों अनिश्चयता वृत्त वनकुमि से लेदखत नहीं हुए है।

• ख्यान मेश प्रश्न ख्यान है। ख्यान पटा एवं मरी पाये जाने पर वगैरे डिप्टी वरान के पूर्ण दोषोदधन में टहकर दस्तवाश किया।

ख्यान मेरे द्वारा
लिखा गया।
S.D.O. 05/09/23

संजय कुमार हल्दवार

में: रामलाल गिबारे उपवन क्षेत्रपाल
परिक्षेत्र स्थायक मनेरा,
कवायल के कक्ष को RF 293/3 में इमेअति कमज के
सम्बंध में परिचित व्याज देन वाला।

में अपना सच- 2 ध्यान देना है
कि उक्त अति कमज के सम्बंध में भूमा
वर श्री संजय हलुकार के द्वारा कोई
रुचना नहीं दी गई थी डबल प्रभार में होने
के कारण में इतना व्यस्त था कि भूमि
पता नहीं लगा डायरी को उड नदस्ता
जबलपर पटना गिरि निदेशक के के कासिस
साम को गीरे तब पता चला उही समय
वर संजय हलुकार को PCR जारी करने
का भौतिक निर्देश दिया गया था
अपराध दर्ज करने में वर द्वारा लेट किया
गया। इसके दिन डायरी को प्रकटिकारी
महोदय का द्वारा हुआ तब जाकर उनके
कहने पर वर ने PCR जारी किया
तब यह भेरा व्याज है।

लिखित ध्यान में
समस्त विमा राजा।
Mee
27/9/23
SPO Siroha

27/9/23
रामलाल गिबारे
एस. मनेरा

बयान

- x - x -

श्री राजकुमार कुलरसे 510 बलढा बुलढा

उम्र - 42 वर्ष साहित्य गाम बुलढा तह. कुण्डम जिला डोल्मकुंड

मेरा मर. मर बयान है कि जहां दि

05/09/2023 को सीमांत उपवनमण्डल अधिकारी महोदय त्रिहोरा ने मुझसे उपरिचय होकर बयान दर्ज करावे रहा है कि मैं वनगाम बुलढा के अंतर्गत FF 203(B) के अतिक्रमण कर लगभग 1.20 है / 3 एकड़ में माफ कर कर बुलढा में धान का फसल लगाया है। जिसकी सुरक्षा के लिए पांच लाख मिरा व सावित्री को करकर बागाड जाके करे लगाया है। जिस हेतु विभाग के परिशेष अधिकारी कुण्डम एवं अन्य कर्मचारी द्वारा वन अण्ड प्रचरण दर्ज किया गया एवं इस अतिक्रमण (करदाही जमीन) को बेवकूफ करवे व दोड़वे की अफवाइस दी गई जिसपर मैं धान की फसल कर के बाद लगभग 1 1/2 - 2 माह में इस अतिक्रमण को खाली कर करे मेरे द्वारा किए गए वन अण्डाध के गुआरडा के रूप में 21/7/21 - 21/7/22 के दिनांक अहिराट साहब को दिया है। जिसकी कचयी रसीद मुझे अपने द्वारा दी गई है। इसके अलावा मेरे द्वारा कही गयी वनशेष वन अतिक्रमण लकी किया गया है। मेरे विरुद्ध 20 एकड़ के अतिक्रमण विवरण बतल है।

बयान मेरा शही बयान है। बयान प्रदा एवं

पात्रे बाने पर जगैर जिस बहाल के पुर्ण दोशेइतास मे रहकर हम

बयान मेरे द्वारा
लिखा गया।


 S.D.O. Srinagar
 5/9/23

राजकुमार

सूचना

श्रीमान् ठापर कुलस्ते श्री बलभद्र कुलस्ते

- स्नातक (कुं ११५१)

पी. डी. - भा. - ड. १८३९/०७ दि. ०६-७-२३

अनुदान - वाणिज्य - शासी २११७९ रुपये से तक पड

म. सं. - ३०५५/५१ दि. २४-०७-२३

शासनमे जाके प्राप्त (आधी अनुपातव्यक्ताने कायम म. सं.)

कोय मे देख

24 8 23
वाचक

अथ उ

दिनांक : 05/09
स्थान : तहसील
कुंदवाड़ा

व्याज
- x - x -

श्री लक्ष्मण सिंह 510 हरिसिंह उम्र - 42 वर्ष
आदिब वामन कुंदवाड़ा तह. कुण्डम जिला कुंदवाड़ा

मेरा सपना- सपना बचाना है कि जहां

05/09/2023 को सामान्य उपवासपत्रिका अधिकारी अधिकारी श्रीमती के
उपस्थित होकर बचान वजी कर के उठा दु बि में लखवाम कुंदवाड़ा
अनुमति RF 233(B) से अतिरिक्त कर लगाया 1.54 है से आफ-
कर माह जुलाई में धारण कर करल लगाया है। जिसकी शुरुआत के
के बाय किरात आदिना को बटकर बागड पाये को 2 लगाया दु।
वच विकारा के परिशेष अधिकारी कुण्डम तह इत्य अर्थात् जहां
अपराध प्रकरा वजी किया गया तह इत्य अतिरिक्त (कुंदवा जी के
के बेवखल करने व दोरने को अगसाइस वी गार्ड गिरफ्त में
लाया करके के बाद लगाया 1.5 - 2 माह में इत्य अतिरिक्त
कर दुगा। मेरे द्वारा कि गत सब अपराध के मुआवजा के रूप
14500/- रुपये डिप्टी डेप्टी अतिरिक्त अहल को दिया है। बिना
इसके मुझे अपने द्वारा बी गार्ड है। इसके अलावा मेरे द्वारा
वतशेष में नया अतिरिक्त करी किया गया है।

वामन के सपना बचाना है। बचान पत्र

पत्रे नामे पर वामन के वलात के दुर्ग होने इत्यादि में रकम

व्याज मेरे द्वारा
बिया गया।
M. K. S.
5/9/23
S. D. O. Bhatnagar

IX-160
For Eng.

MONEY RECEIPT

Book No. 3044 ... **POST-I** Page No. 11

Forest Department, M.P. **जबलपुर सामान्य** Division

कुण्डम सामान्य Range. Received from **राज कुमार कुलकर्णी**

नलमयकुलकर्णी कुंदमारा the sum of (in figures & words) Rs ... 7060=00

सात हजार साठ रुपये ... on account of the following:—

Details	Amount
	Rs p.
राशि कुल ब्याक P.O.R. No 1839/07	
नं. 06 नं. 232 नं. 232 नं. 232 नं. 232	
कुंडम सामान्य	
राशि 2100/-	
2100/-	
12600/-	
11341/-	
मेरा = 20034/-	
360/-	
720/-	
657/-	
11457/-	
211757/-	
Total ...	7060=00

Dated 09.09.23

Signature of Forest Officer **परिवेश सहायक प्रवराणी**

Cash Book Reference Dr. Item No. of **परि. कुण्डम (साध)**

Chalan or Rev. M. O. No. Date Bank

Checked by Revenue Accountant

..... on (date).

GCPB-44-DGCPB-21-4-18-3,000 Bks.(100+100+100+x1).

DIVISIONAL FOREST OFFICER JABALPUR
GSTIN : 23AAAGD0775N1ZE

—160
r. Eng.

MONEY RECEIPT

Part-II

Book No. 3044

Page No. 53

Forest Department, M. P. जबलपुर सामान्य Division

राजखत नसली Range, Received from राजखत नसली 8/0

the sum of (in figures & words) Rs. 7060.00

राजखत नसली on account of the following:—

Details	Amount
राजखत नसली विधा खर्च No. 1839/07 दि. 06.07.23 एच ड, 3044/41 दि. 09.09.23 पटि I त नसली कु. ख. श. 14120/- दि. 11.09.23 अ. ख. श. 7060/- नसली कु. ख. श. 7060/- सा. ड. न. सा. 00	Rs 7060 = 00
Total ..	7060 = 00

dated 11.09.23

परिमेश सहायक
Signature of Forest Officer प. रा. राज
परि, कुण्डम (सा.)

Book Reference Dr. Item No. of
Serial or Rev. M. O. No. Date Bank
checked by Revenue Accountant
by on (date).

PB-44-DGGGPB-21-4-18-3.000 Bks.(100+100+100+x1)

DISTRICT FOREST OFFICER T JABALPUR
PIN : 23AAAGD0773N1ZE

IX-160
For. Eng.

MONEY RECEIPT
Part III

Book No. 3044

Page No. 45

Forest Department, M. P. जबलपुर सामान्य Division

कुण्डम Range, Received from राजकुमार कुलकर्णी 86

बलमकुलकर्णी कुलकर्णी the sum of (in figures & words) Rs ... 7060 = 00

सात हजार साठ रुपये on account of the following:—

Details	Amount	
	Rs	p.
वन राजस्व नियुक्त किया जावन No. 1839/07 दि. 06.07.23	7060	= 00
अपेक्ष कुण्डम सा. र. स. 3044/13		
दि. 11.07.23 पर II में वर्णित अनुसार		
कुण्डम सा. र. स. 7060 = 00		
बलम कुलकर्णी 86		
सात हजार साठ रुपये		
Total ..	7060	= 00

Dated . 12.07.23

परिक्षेत्र सहायक
Signature of Forest Officer

Cash Book Reference Dr. Item No. of परि. कुण्डम (सा.)

Chalan or Rev. M.O. No. Date Bank

Checked by: Revenue Accountant

..... on (date).

GCPB-44-DGGCPB-21-4-18-3,000 Bds (100+100+100+100) D/112
DIVISIONAL FOREST OFFICER
GSTIN: 23AAAGD0773N1ZE

Annexure-16 (41-43)

Office Phone No. 91-761-2624

Original / Duplicate / Triplicate

Head H. & M.C.P. & Bear (B.L.) Subsidiary Rules 19 & 23 Under Treasury Rules 10

Challan only Paid into THE STATE BANK 361 TREASURY

(To be Presented at the Single or Duplicate or Triplicate The Case May Be)

(खजाने में इसकी एक या दो या तीन नकल जैसे हो पेश करना चाहिए)

By Whom Brought (कौन लाया)	On Account of (किस बाबत)	Under Rs.	GSTIN	T.P. (शुल्क) Amount (रकम)	Other	Total Amount (रकम)
विश्व आंदोलन पं० स० ०००००००० ३००००००० परिवहन सहायक बलराज ३००००००० (सा.)	वन राजस्व जमा. डि० वा/ब/० PORN 1839/07 दि० 6/7/23 PORN 3044/41 दि० 14/7/23	7060/-				7060/-
		सात हजार ६६६ रु ००				
			Total (मीजान)			7060/-

In Words

HEAD OF
REVENUE
MAJOR HEAD
DETAILED HEAD

लेखा शीर्ष 8443
वन राजस्व जमा
उप शीर्ष 106
पी.डी. खाता नं० 180/0621/2054
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

Detail तफसील-----
Note नोट-----
Cash नगदी-----
Total मीजान-----

Certified that the amount shown above has been entered in the Register the head of Revenue indicated above

परिवहन सहायक

Date- 16/10/23

Department Officer बलराज

Signature Of Tender

For Use in Treasury खजाने में इस्तेमाल के लिए

Examined

Received

Rs. (in Figures)

Rs. (in Words)

Signature of the
Accountant

Signature of Treasure

Entered No.

1000

Signature of
Accountant

J-195092330

Annexure-17 (44-45)

IX-160
For. Eng.

MONEY RECEIPT
PART I

42

Book No. 3044

Page No.

Forest Department, M. P. Jabalpur Samraaj Division

Range, Received from Yashwanth Singh, S.I., Harsid

the sum of (in figures & words) Rs. 7394.00

on account of the following:-

Details	Amount
<p>जब राजाजी कसुल दिया जावत प.०.२.१० 839/08 रि० ०६.०७.२३ असे ३२२२०२०० कुखरा से प्राप्त जमीन जंगल वसुली :- लास ३६२००० से प्राप्त जंगल ०२-५६८ र २१०० ५००० X ०२०० = ४२००० मूल्य ४५००० मूल्य ३५००० मूल्य १३३५६=००</p> <p>५१००० को मैकनी टपरी से प्राप्त जंगल ३५००० मूल्य र ३०००० मूल्य X ५५०० = ४५००० मूल्य १०००० मूल्य ३१५००० मूल्य १८/१८</p> <p>मूल्य ७ १३३५६=०० ८ १४३१=०० २०००० = १५७८७ मूल्य १४७८८/</p> <p>३०००० मूल्य ३३३३३ मूल्य ३३३३३ मूल्य</p> <p>Total 7394 = 00</p>	<p>Rs p. 7394 = 00</p>

Dated 09-09-23
Signature of Forest Officer/परिचय सहायक
बघराजी
परि कुण्डन (सा.)

Cash Book Reference Dr. Item No. of

Chalan or Rev. M. O. No. Date Bank

Checked by Revenue Accountant

on (date)

GCPB-44-DGGCPR-21-4-18-3,000 Bks.(100+100+100+x1)
OFFICER T, JABALPUR
AGD077 ON IZE

IX-160
For. Eng.

MONEY RECEIPT

POST-II

Book No. 3044

Page No. 44

Forest Department, M. P. जवाहर अमान Division
जवाहर Range, Received from रवि सिंह

रवि सिंह the sum of (in figures & words) Rs. 7394=00
on account of the following:-

Details	Amount
<p>न राजस्व वसूल किया जा रहा O.R No. 1839/08 दि. 06.07.23 रवि सिंह एवं म. र. उ. 3044/42 1000 रु. 23 महीने के लिए रवि वसुली 7394=00 शेष राशि निरस्त सब एकाद तीन सा थोरानके</p>	<p>Rs p. 7394 = 00</p>
Total ..	7394 = 00

Dated 12.07.23

परिवेश सहायक
Signature of Forest Officer राजा

Cash Book Reference Dr. Item No. of

Chalan or Rev. M. O. No. Date Bank

Checked by Revenue Accountant

on (date)

GCPB-44-DCCPR
DIVISIONAL FOREST OFFICER
GSTIN : 23AAAGD0751212

Challan only Paid into THE STATE BANK 361 TREASURY

46

Annexure-18 (464) खजाने में इसकी एक या दो या तीन नकल जैसे हो पेश करना चाहिए

By Whom Brought (कौन लाया)	On Account of (किस बाबत)	Under Rs.	GSTIN	T.P. (शुल्क) Amount (रकम)	Other	Total Amount (रकम)
कुमावत अहिरवाट वन श्रेयपाल बालासुराजी उधराज धरि, कुम्हल (सा.)	वन राजस्व जमा डिवा लाख 9 P.O.R. No. 1839/08 10/23 MR No. 3044/42 14	7395/- 5 75 14				7394=0 7394=0
In Words			Total (मीजान)			7394=0

HEAD OF REVENUE
MAJOR HEAD
DETAILED HEAD

लेखा शीर्ष 8443
वन राजस्व जमा
उप शीर्ष 106
पी.डी. खाता नं० 180/0621/2054
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

Detail तफसील-----
Note नोट-----
Cash नगदी-----
Total मीजान-----

Certified that the amount shown above has been entered in the Register the head of Revenue indicated above

Date- 16/09/23

Department Officer

Signature Of Tender

For Use in Treasury खजाने में इस्तेमाल कीजिए

Exmined	Received Rs. (in Figures) Rs. (in Words)	Entered No. 14 SEP 2023
Signature of the Accountant	Signature of Treasure	Signature of Accountant

J -198723885
(06)

Office Phone No. +91-761-2624195

Original / Duplicate / Triplicate

Hew H. & M.C.P. & Bear (B.L.) Subsidiary Rules 19 & 23 Under Treasury Rules 10

Challan only Paid into **THE STATE BANK 361 TREASURY**

(To be Presented at the Single or Duplicate or Triplicate The Case May Be)

(खजाने में इसकी एक या दो या तीन नकल जैसे हो पेश करना चाहिए)

By Whom Brought (कौन लाया)	On Account of (किस बाबत)	Under Rs.	GSTIN	T.P. (शुल्क) Amount (रकम)	Other	Total Amount (रकम)
श्री कुमार अखिलेश्वर व नरेश कुमार Vinod K. Ahinwar जयपुरी वरिष्ठ कुम्हार (सा.)	वन राजस्व जमा किया काबिल अर्बिध करार प्रकरण निम्नानुसार OP.O.R.No. 1837/08 दि० 06.07.23 M.R.No. 3044/44 दि० 12.09.23 राशि 7394=00 ② P.O.R.No 1839/07 दि० 06.07.23 M.R.No. 3044/45 दि० 12.09.23 राशि 7060=00 योग 14454=00 पी.डी. खाता नं० 180/0621/2054	14454 7394 7060 14454				14454=00
						Total (मीजान)
						14454=00

In Words

 HEAD OF
 REVENUE
 MAJOR HEAD
 DETAILED HEAD

 लेखा शीर्ष 8443
 वन राजस्व जमा
 उप शीर्ष 106
 पी.डी. खाता नं० 180/0621/2054
 (सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

Detail तफसील-----

Note नोट-----

Cash नगदी-----

Total मीजान-----

 Certified that the amount shown above has been entered in the
 Register the head of Revenue indicated above

Date-18/09/23

Department Officer

Signature Of Tender

For Use in Treasury खजाने में इस्तेमाल कीजिए

Examined	Received	Entered No.
	Rs. (in Figures)	
	Rs. (in Words)	
Signature of the Accountant	Signature of Treasure	Signature of Accountant

T. 100175775

कार्यालय उप वनमंडल अधिकारी सिहोरा (सामान्य)

E-Mail -sdoftsihora@mp.gov.in Mob. No. 9424792664

पत्र क्रमांक/उ.व.मं./ 2200
प्रति,

सिहोरा, दिनांक/06/09/2023

वनमंडल अधिकारी महोदय,
वनमंडल जबलपुर (सा0)

विषय :- वन ग्राम कुंदवारा वन चौकी बघराजी वन परिक्षेत्र कुण्डम की करोड़ों रुपये मूल्य की लगभग 20 एकड़ रिजर्व फारेस्ट भूमि पर से सागौन एवं सतकठा के पुराने हरे-भरे पेड़ों को काटकर करोड़ों रुपये की वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने बावद शिकायत। तथा अवैध तरीके से वृक्षों की कटाई कर चोरी से विक्रय करने की शिकायत बावद। रिजर्व फारेस्ट की भूमि पर ईमारती सागौन एवं सतकठा के वृक्ष काटकर अवैध रूप से बेचने वाले तथा रिजर्व फारेस्ट की भूमि पर कब्जा करने वाले के नाम :- 1 वनरक्षक संजय हल्दकार, 2 राजू सिंह ठाकुर (गौड)

संदर्भ :- आपका का व्हाट्सएप एस.एम.एस. दिनांक 05.09.2023

विषयांतर्गत संदर्भित दिनांक को प्राप्त शिकायत में निवेदन है कि वन ग्राम कुंदवारा के अंतर्गत कक्ष क्रमांक आर.एफ. 293 B में अतिक्रमण के जाँच मेरे द्वारा दिनांक 05.09.2023 को मौका स्थल पर किया गया, शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता के ब्यान दर्ज किये गये, शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उक्त वन क्षेत्र में 1-श्री राजकुमार पिता बल्भद्र कुलस्ते साकिन कुंदवारा द्वारा लगभग 3-3.50 एकड़ में वनक्षेत्र की साफ-सफाई कर धान की फसल लगाया गया है। 2- टहल सिंह पिता हरि सिंह निवासी कुंदवारा के द्वारा भी उक्त वनक्षेत्र में लगभग 3-3.50 एकड़ में वनक्षेत्र की साफ-सफाई कर धान की फसल लगाया गया है इसके अतिरिक्त इनके कही भी वन क्षेत्र में अतिक्रमण व अवैध कटाई नहीं की गई है। मौका स्थल का जाँच की गई उपरोक्त तथ्य सही पाए गए। किन्तु शिकायतकर्ता श्री रामसुजान यादव निवासी टिकरिया तहसील कुण्डम जिला जबलपुर द्वारा अपने ब्यान में बताया गया कि मेरे द्वारा इस संबंध में कही भी कोई शिकायत नहीं की गई है। मेरे हस्ताक्षर फर्जी तरीके से किया गया है। (ब्यान संलग्न है।)

तत्संबंध में अतिक्रमणकर्ताओं के ब्यान दर्ज किये गये उनके द्वारा भी अतिक्रमण कर धान के फसल लगाने का वन अपराध स्वीकार किया गया है। तथा अपने ब्यान में लेख कराया गया कि उनके द्वारा 1 से 1.5 माह के बाद जब धान की फसल की कटाई कर लिया जावेगा तब उक्त वन भूमि को बेदखल करते हुए स्वेच्छा से रिक्त कर दिया जावेगा। अतिक्रमणकर्ता 1-श्री राजकुमार पिता बल्भद्र कुलस्ते साकिन कुंदवारा द्वारा बताया गया कि उक्त वन अपराध के मावजा के रूप में परिक्षेत्र सहायक बघराजी श्री विनोद कुमार अहिरवार उ.व.क्षे. को उनके मागे जाने पर रुपये 21179/- दिया गया है एवं 2- श्री टहल सिंह पिता हरि सिंह निवासी कुंदवारा के द्वारा भी रुपये 14501/- दिया गया है। जिसका हमको हस्तलिखित कच्ची रसीद दिया गया है। (ब्यान एवं कच्ची रसीद संलग्न है।)

दिनांक 06.07.2023 को वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम अपने दौरा के दौरान उक्त वनक्षेत्र में हुए अतिक्रमण का अपने समक्ष वन अपराध प्रकरण क्रमांक 1839/07 दिनांक 06.07.2023 पंजीबद्ध कराकर प्रकरण की विवेचना हेतु परिक्षेत्र सहायक बघराजी को सौंपा गया है, जिसक विस्तृत प्रतिवेदन

वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम द्वारा पत्र क्रमांक/1063 दिनांक 06.09.2023 को प्रतिवेदित किया गया है। प्रकरण में विवेचना आज दिनांक तक लंबित है। श्री विनोद कुमार अहिरवार उ.व.क्षे. परिक्षेत्र सहायक बघराजी जॉच के दौरा मौके से अनुपस्थित थे, इनके द्वारा प्रकरण की जॉच के दौरान उक्त दोनों अतिक्रमणकारियों से बिना समक्ष अधिकारी के अनुमोदन के दिनांक 21.08.2023 को क्रमशः 1-श्री राजकुमार पिता बल्भद्र कुलस्ते साकिन कुंदवारा से 21,179/- वसूल कर कच्ची रसीद हस्त लिखित दिया गया है एवं 2- श्री टहल सिंह पिता हरि सिंह निवासी कुंदवारा से 14,501/- वसूल कर कच्ची रसीद हस्त लिखित दिया गया है, जो कि जॉच के दौरान उक्त अतिक्रमणकारियों द्वारा रसीद प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार अहिरवार उ.व.क्षे. परिक्षेत्र सहायक बघराजी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया गया है।

उपरोक्त वनक्षेत्र में अतिक्रमण कर फसल बोने के जानकारी बीटगार्ड कुंदवारा श्री संजय हल्दकार वनरक्षक एवं तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक बघराजी श्री रामलाल तिवारी उ.व.क्षे. को होते हुए भी इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया है अपितु वन परिक्षेत्र कुण्डम के निर्देशों का प्रतिक्षा किया गया जिससे उक्त अतिक्रमण कर फसल बोया गया है जो कहीं ना कहीं उक्त दोनों कर्मचारियों की संलिप्ता प्रदर्शित होती है। (ब्यान रसीद संलग्न है।) उक्त दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उनके पत्र क्रमांक/कुण्डम/995 दिनांक 14.08.2023 के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है जो इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/उ.व.मं/2029 दिनांक 21.08.2023 से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रतिवेदन अनुशांसा सहित प्रेषित किया गया है।

इस तरह संदर्भित शिकायत के संबंध में की गई जॉच से स्पष्ट है कि वन क्षेत्र में अतिक्रमण होना पाया गया है। जो संबंधित कर्मचारियों के लापरवाही का प्रतीक है।

अतः प्रतिवेदन आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं संबंधित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुशांसा सहित सादर संप्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 01 से 18 तक।

(एम.एल. वरकड़े)
उप वनमंडल अधिकारी
सिहोरा (सामान्य)

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल जबलपुर

फोन : +91-0761-2624195 (कार्या०), E-Mail Add: dfotjabalpur@mp.gov.in

आदेश

क्रमांक / 829

जबलपुर दिनांक 08-09-2023

वन परिक्षेत्र कुण्डम के अंतर्गत परि०सहा० वृत्त- बघराजी की बीट- कुन्दवारा के कक्ष क्रमांक- आर०एफ०- 293 B का निरीक्षण दिनांक- 06.07.2023 को वन परिक्षेत्र अधिकारी, (सामान्य) कुण्डम द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान कक्ष क्रमांक- आर०एफ०- 293 B में 02 अतिक्रमकों के द्वारा 3-3.50 एकड़ वनभूमि प्रत्येक के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर खेती किया जाना पाया गया। जिसकी जानकारी वनरक्षक श्री संजय हल्दकार, बीटगार्ड- कुन्दवारा को होने के उपरांत भी उनके द्वारा निरीक्षण दिनांक तक नियमानुसार अवैध अतिक्रमण प्रकरण दर्ज न करते हुए उक्त अतिक्रमण की रोकथाम हेतु नियमानुसार ठोस तथा प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। वन परिक्षेत्र अधिकारी, (सामान्य) कुण्डम के पत्र क्रमांक/995, दिनांक- 14.08.2023 तथा उप वनमण्डल अधिकारी, (सामान्य) सिहोरा के पत्र क्रमांक/उ.व. मं./2029, दिनांक- 21.08.2023 एवं क्रमांक/उ.व.मं./2200, दिनांक- 06.09.2023 द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन अनुसार उक्त अतिक्रमण प्रकरण में लापरवाही तथा उदासीनता बरतने के फलस्वरूप श्री संजय हल्दकार, वनरक्षक, बीटगार्ड- कुन्दवारा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सिहोरा परिक्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तथा निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

(व्ही०सी० मंत्रालय) भा.व.से.

वन मण्डलाधिकारी


जबलपुर (सा.) वन मण्डल

पृ. क्र/स्था./ 1229

जबलपुर दिनांक/08-09-2023

प्रतिलिपि :-

1. वन संरक्षक, मध्य वृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया निलंबित वनरक्षक के विरुद्ध तथ्यात्मक आरोप पत्र तैयार कर इस कार्यालय में संपूर्ण अभिलेख सहित प्रस्तुत करें, ताकि अपचारी कर्मचारी को निर्धारित समयावधि के पूर्व आरोप पत्र प्रदाय किए जा सकें।
3. परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। निलंबित वनरक्षक श्री संजय हल्दकार का प्रभार हस्तांतरण स्थानीय व्यवस्था से कराकर वनपाल को भारमुक्त करें तथा प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख उपवनमण्डल अधिकारी सिहोरा को तत्काल उपलब्ध करावें।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सिहोरा परिक्षेत्र की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। वनरक्षक की उपस्थिति से इस कार्यालय को अवगत करावें।
5. श्री संजय हल्दकार, निलंबित वनरक्षक, द्वारा :- वन परिक्षेत्र अधिकारी, कुण्डम की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। आप परिक्षेत्र कार्यालय सिहोरा में अपनी उपस्थिति तत्काल देवें।



वन मण्डलाधिकारी

जबलपुर (सा.) वन मण्डल

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल जबलपुर
फोन : +91-0761-2624195 (कार्या0), E-Mail Add: dfotjabalpur@mp.gov.in

आदेश

क्रमांक /

जबलपुर दिनांक

वन परिक्षेत्र कुण्डम के अंतर्गत परि0सहा0 वृत्त- बघराजी की बीट- कुन्दवारा के कक्ष क्रमांक- आर0एफ0- 293 B का निरीक्षण दिनांक- 06.07.2023 को वन परिक्षेत्र अधिकारी, (सामान्य) कुण्डम द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान कक्ष क्रमांक- आर0एफ0- 293 B में 02 अतिक्रमकों के द्वारा 3-3.50 एकड़ वनभूमि प्रत्येक के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर खेती किया जाना पाया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी, (सामान्य) कुण्डम के निर्देश उपरांत उक्त अवैध अतिक्रमण का वन अपराध प्रकरण क्रमांक-1839/07, दिनांक- 06.07.2023 बीटगार्ड- कुन्दवारा द्वारा दर्ज किया गया जिसमें श्री विनोद कुमार अहिरवार, उ0व0क्षे0, परिक्षेत्र सहायक बघराजी तथा जॉच अधिकारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए अतिक्रमणकर्ता श्री राजकुमार पिता बलभद्र कुलस्ते साकिन कुन्दवारा से रू0 21179.00 तथा श्री टहल सिंह पिता हरि सिंह निवासी- कुन्दवारा से रू0 14501.00 की राशि की अनाधिकृत वसूली की जाकर कच्ची रसीद संबंधितों को प्रदाय की गई हैं जो म0प्र0 वन वित्तीय नियम 11 (i) का उल्लंघन है। उप वनमण्डल अधिकारी, (सामान्य) सिहोरा के पत्र क्रमांक/उ.व.मं./2200, दिनांक- 06.09.2023 द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव अनुसार उक्त अतिक्रमण प्रकरण में लापरवाही तथा उदासीनता बरतने तथा अनियमित रूप से वसूली किए जाने के फलस्वरूप श्री विनोद अहिरवार, उपवनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र सहायक- बघराजी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पाटन परिक्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तथा निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

(व्ही0सी0 मिश्रम) भा.व.से.

वन मण्डलाधिकारी


जबलपुर (सा.) वन मण्डल

जबलपुर दिनांक/08 09 2023

पृ. क्र/स्था./ 1228

प्रतिलिपि :-

1. वन संरक्षक, मध्य वृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित। कृपया श्री विनोद अहिरवार, उ0व0क्षे0 परिक्षेत्र सहायक बघराजी के निलंबन आदेश का अनुमोदन करने का कष्ट करें।
2. उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया निलंबित उपवनक्षेत्रपाल के विरुद्ध तथ्यात्मक आरोप पत्र तैयार कर इस कार्यालय में संपूर्ण अभिलेख सहित प्रस्तुत करें, ताकि अपचारी कर्मचारी को निर्धारित समयावधि के पूर्व आरोप पत्र का अनुमोदन वन संरक्षक मध्य वनवृत्त जबलपुर से प्राप्त किया जाकर प्रदाय किए जा सके।
3. परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। निलंबित उपवनक्षेत्रपाल श्री विनोद कुमार अहिरवार का प्रभार हस्तांतरण स्थानीय व्यवस्था से कराकर उपवनक्षेत्रपाल को भारमुक्त करें तथा प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख उपवनमण्डल अधिकारी सिहोरा को तत्काल उपलब्ध करावें।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी, पाटन परिक्षेत्र की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। उपवनक्षेत्रपाल की उपस्थिति से इस कार्यालय को अवगत करावें।
5. श्री विनोद कुमार अहिरवार, निलंबित उपवनक्षेत्रपाल, द्वारा :- वन परिक्षेत्र अधिकारी, कुण्डम की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। आप परिक्षेत्र कार्यालय पाटन में अपनी उपस्थिति तत्काल दें।



Handwritten signature and date: 15/9/2023

वन मण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.) वन मण्डल

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, (सामान्य) वनमण्डल जबलपुर (म0प्र0)

फोन : +91-0761-2624195 (कार्या0), E-Mail Add: dfotjbp@mp.gov.in

क्रमांक/स्था./
प्रति, 2944

जबलपुर दिनांक/12/09/23

श्री रामलाल तिवारी, उ0व0क्षे0
तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक- बघराजी,
वन परिक्षेत्र- कुण्डम (सामान्य)।

- द्वारा :- वन परिक्षेत्र अधिकारी, (सामान्य) कुण्डम।
विषय :- वन ग्राम कुन्दवारा वन चौकी बघराजी वन परिक्षेत्र कुण्डम की करोड़ों रूपये मूल्य की लगभग 20 एकड़ रिजर्व फॉरेस्ट भूमि पर से सागौन एवं सतकठा के पुराने हरे-भरे पेड़ों को काटकर करोड़ों रूपये की वनभूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने बाबद् शिकायत तथा अवैध तरीके से वृक्षों की कटाई कर चोरी से विक्रय करने की शिकायत बाबद् आरोप ज्ञापन पत्र।
संदर्भ :- उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा का पत्र क्रमांक/2029, दिनांक-21.08.2023 तथा पत्र क्रमांक/2200, दिनांक-06.09.2023

—00—

आप श्री रामलाल तिवारी, उ0व0क्षे0 की पदस्थिति वन मण्डल अधिकारी, (सामान्य) वनमण्डल जबलपुर के आदेश क्रमांक/665, दिनांक-10.08.2018 द्वारा वन परिक्षेत्र कुण्डम, के अंतर्गत वृत्त मनेरा पर परिक्षेत्र सहायक की हैसियत से की गई है तथा आप विगत 02 वर्षों से दिनांक-07.08.2023 तक परिक्षेत्र सहायक वृत्त-बघराजी के अतिरिक्त प्रभार में पदस्थ रहे हैं। आपकी परिक्षेत्र सहायक वृत्त-बघराजी में पदस्थिति अवधि में वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम के द्वारा दिनांक- 06.07.2023 को बीट कुन्दवारा के कक्ष क्रमांक आर. एफ. 293 B के प्रवास के दौरान वनक्षेत्र में अवैध अतिक्रमण कर जुताई (खेती) किया जाना पाया गया है। मौके पर 02 अतिक्रमण कमशः श्री राजकुमार पिता बलभद्र कुलस्ते साकिन- कुन्दवारा तथा श्री टहल सिंह पिता हरि सिंह निवासी कुन्दवारा द्वारा 3-3.50 एकड़ वनभूमि पर प्रत्येक के द्वारा कब्जा किया गया है तथा धान की फसल लगाई गई है।

परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम द्वारा उक्त अतिक्रमण के संबंध में आपसे एवं श्री संजय हल्दकार, वनरक्षक, बीटगार्ड- कुन्दवारा से की गई पूछताछ के दौरान निष्कर्ष निकला कि वनक्षेत्र में उक्त अतिक्रमण की जानकारी आपको तथा श्री संजय हल्दकार, वनरक्षक बीटगार्ड-कुन्दवारा को थी किन्तु इसके उपरांत भी आपके द्वारा उक्त अतिक्रमण रोकने अथवा बे-दखल करने में किसी प्रकार की कोई ठोस तथा प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई जिससे वनक्षेत्र में उक्त अतिक्रमण में आपकी सलिप्तता संदिग्ध है। तदोपरांत वन परिक्षेत्र अधिकारी, कुण्डम द्वारा दिनांक-06.07.2023 को निर्देश दिए जाने पर वन अपराध प्रकरण क्रमांक/1839/07, दिनांक- 06.07.2023 दर्ज कर उक्त अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

उक्त अतिक्रमण में आपकी सलिप्तता की संभावना व्यक्त करते हुए आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम के पत्र क्रमांक/995, दिनांक- 14.08.2023 से इस कार्यालय को उप वनमण्डल अधिकारी, (सामान्य) सिहोरा के माध्यम से प्रेषित किया गया जो उनके पत्र क्रमांक/2029, दिनांक- 21.08.2023 से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ।

इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया तथा वनसुरक्षा के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता बरती गई है। अगर आपके द्वारा जानकारी प्राप्त होने के उपरांत सही समय पर उक्त अतिक्रमण रोकने तथा बे-दखल करने हेतु प्रभावी तथा त्वरित कार्यवाही की जाती तथा अधीनस्थों को निर्देशित किया जाता तो वनभूमि पर उक्त अवैध अतिक्रमण किया जाना संभव नहीं होता। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त अवैध अतिक्रमण में आपकी मूक सहमति रही है।

इस प्रकार आपके द्वारा शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई तथा आपकी लापरवाही तथा उदासीनता के कारण वनभूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करने में आपकी कोई रुचि नहीं है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है। आप द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही का परिचय देकर म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत व्यवहार किया तथा स्वयं को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया।


अतः इस संबंध में क्यों ना आपके विरुद्ध उक्त नियमों में वर्णित प्रावधान अनुसार आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे तथा वनक्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के लिए आपको दोषी माना जाकर 02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध किए जाने की कार्यवाही की जावे? अतः आप अपना बचाव उत्तर पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से उचित माध्यम से प्रस्तुत करें। समयावधि में बचाव उत्तर प्राप्त ना होने पर प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगी। पत्र की सदिनांक पाबती अभिस्वीकृति दें।

(व्ही० सी० वि०) भा.व.से.
वनमण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल जबलपुर

पृ० क्रमांक/स्था./ 2945
प्रतिलिपि :-

जबलपुर दिनांक...12-09-2023

1. वन संरक्षक, मध्य वनवृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित। कृपया वनक्षेत्र में उपरोक्त अतिक्रमण के लिए श्री रामलाल तिवारी, उ०व०क्ष० तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक-बघराजी को जारी आरोप ज्ञापन पत्र का अनुमोदन करने का अनुरोध है।
2. उप वनमण्डल अधिकारी, सिहोरा (सामान्य) की ओर उनके पृष्ठांकन क्रमांक/2200, दिनांक-06.09.2023 के तारतम्य में सूचनार्थ।
3. वन परिक्षेत्र अधिकारी, (सामान्य) कुण्डम की ओर उनके पत्र क्रमांक/995, दिनांक-14.08.2023 के तारतम्य में दो प्रतियों में भेजकर लेख है कि एक प्रति संबंधित उ०व०क्ष० को सौंपकर अतिरिक्त प्रति में श्री रामलाल तिवारी, उ०व०क्ष० से सदिनांक पाबती अभिस्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।



वनमण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल जबलपुर

01C

ए००० प्राप्त प्राप्त
25/9/2023
- प००० म००००

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, (सामान्य) वनमण्डल जबलपुर (म0प्र0)

फोन : +91-0761-2624195 (कार्या0), E-Mail Add: dfotjbp@mp.gov.in

क्रमांक/स्था./
प्रति,

जबलपुर दिनांक/

श्री रामलाल तिवारी, उ0व0क्षे0
परिक्षेत्र सहायक- मनेरा,
(तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक-बघराजी)
वन परिक्षेत्र-कुण्डम (सामान्य)।

द्वारा :- वन परिक्षेत्र अधिकारी, (सामान्य) कुण्डम।
विषय :- विभागीय जॉच की स्थापना हेतु आरोप पत्र बावत्।

--00--

आप श्री रामलाल तिवारी, उपवनक्षेत्रपाल की पदस्थिति वनमण्डल अधिकारी (सामान्य) वनमण्डल जबलपुर के आदेश क्रमांक/665, दिनांक- 10.08.2018 से वन परिक्षेत्र कुण्डम (सामान्य) के अंतर्गत परिक्षेत्र सहायक वृत्त-मनेरा पर परिक्षेत्र सहायक की हैसियत से की गई थी तथा श्री पन्नालाल विश्वकर्मा, तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक बघराजी के स्थानांतरण उपरांत दिनांक- 30.12.2022 से परिक्षेत्र सहायक वृत्त- बघराजी के अतिरिक्त प्रभार में कार्य सम्पादित कर रहे हैं। आपकी पदस्थिति अवधि में परिक्षेत्र सहायक वृत्त- बघराजी की बीट कुन्दवारा में दिनांक-06.07.2023 को वन परिक्षेत्र अधिकारी, कुण्डम (सामान्य) द्वारा कक्ष क्रमांक- आ0व0 293B का निरीक्षण/प्रवास किया गया जिसके दौरान उक्त कक्ष में 02 अतिक्रमक नाम क्रमशः श्री राजकुमार कुलस्ते वल्द बलभद्र कुलस्ते साकिन- कुन्दवारा द्वारा लगभग- 1.21 हेक्टे0 तथा श्री टहल सिंह वल्द हरि सिंह गौंड साकिन- कुन्दवारा द्वारा लगभग 0.80 हेक्टे0 वनभूमि पर अवैध अतिक्रमण कर खेती किया जाना पाया गया जिसकी जानकारी आपको उपरांत भी निरीक्षण दिनांक तक नियमानुसार अतिक्रमण प्रकरण न तो स्वयं दर्ज किया गया एवं न ही बीटगार्ड- कुन्दवारा को निर्देशित किया गया। उक्त अतिक्रमण की रोकथाम हेतु नियमानुसार ठोस तथा प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई एवं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी उक्त अतिक्रमण के संबंध में सूचना नहीं दी गई।

निरीक्षण के दौरान वन परिक्षेत्र अधिकारी, (सामान्य) कुण्डम द्वारा निर्देश दिए जाने के उपरांत ही निरीक्षण दिनांक को आपके द्वारा उक्त अतिक्रमकों के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक- 1839/07 दिनांक- 06.07.2023 अपराधी श्री राजकुमार कुलस्ते वल्द बलभद्र कुलस्ते निवासी- कुन्दवारा अतिक्रमित क्षेत्रफल लगभग- 1.21 हेक्टे0 तथा वन अपराध प्रकरण क्रमांक- 1839/08 दिनांक- 06.07.2023 अपराधी श्री टहल सिंह वल्द हरि सिंह गौंड, निवासी- कुन्दवारा अतिक्रमित क्षेत्रफल लगभग- 0.80 हेक्टे0 का प्रकरण बीटगार्ड- बघराजी से दर्ज कराया गया तथा मौका पंचनामा तैयार कराकर नियमानुसार अन्य कार्यवाही की गई। प्रकरण की प्राथमिक जॉच में आप श्री रामलाल तिवारी, उपवनक्षेत्रपाल को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए जाने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था0/2944, दिनांक- 21.09.2023 द्वारा आपको लगे आरोप ज्ञापन पत्र जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर आपके पत्र दिनांक- 06.10.2023, वन परिक्षेत्र अधिकारी, कुण्डम (सामान्य) के पत्र क्रमांक/1250, दिनांक- 11.10.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ जो संतोषप्रद नहीं पाया गया।

आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप वनक्षेत्र में उक्त अवैध अतिक्रमण हुआ तथा पलास (जलाऊ) प्रजाति के 51 वृक्षों की कटाई से शासन को नुकसान भी हुई। आपके द्वारा उक्त कृत्य कर शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता व अनुशासनहीनता बरती गई तथा शासकीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का परिचय दिया गया।

इस प्रकार आपके द्वारा उक्त कृत्य कर शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता अनुशासनहीनता बरती गई तथा शासकीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का परिचय देकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। इस प्रकार आपने म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर स्वयं को म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत दण्ड का भागी बनाया। अतः आपको संलग्न आरोप पत्र में दर्शित आरोपों से आरोपित किया जाता है।

आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर 15 दिवस के अंदर निम्न जानकारी सहित उचित माध्यम से प्रेषित करें :-

1. क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं?
2. क्या आप लिखित सुनवाई चाहते हैं?
3. क्या आप प्रतिउत्तर के संबंध में कोई दस्तावेज प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो उसकी सूची प्रेषित करें।
4. क्या आप प्रतिउत्तर के संबंध में अभिलेख निरीक्षण करना चाहते हैं? या उसकी कोई उध्दरण प्रति लेना चाहते हैं तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करें ताकि प्रदाय किये जा सकें।

नोट करें कि प्रतिवाद उत्तर निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होता है तो प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही की जावेगी। जिसकी पूर्ण जबाबदारी आपकी होगी।


सहपत्र :-

1. आरोप पत्र (परिशिष्ट-1)।
2. आरोपों से संबंधित कदाचरण का विवरण (परिशिष्ट-2)।
3. आरोपों से संबंधित अभिलेखों की सूची (परिशिष्ट-3)।
4. गवाहों की सूची जिस पर आरोप आधारित हैं (परिशिष्ट-4)।

(व्ही० सी० विभाग) आव०
वनमण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल जबलपुर
जबलपुर, दिनांक/31-10-23

पृ० क्रमांक/स्था०/3527
प्रतिलिपि :-

1. वन संरक्षक, मध्य वनवृत्त जबलपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक/स्थापना/6535 दिनांक 09.2023 द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. उप वनमण्डल अधिकारी (सामान्य) उप वनमण्डल सिहोरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित। उपवनक्षेत्रपाल का प्रतिवाद उत्तर प्राप्त होने पर स्पष्ट टीप/अभिमत सहित इस कार्यालय को प्रेषित करें।
3. वन परिक्षेत्र अधिकारी, (सामान्य) कुण्डम की ओर दो प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है। कृपया एक प्रति संबंधित उपवनक्षेत्रपाल को सौंपकर अतिरिक्त प्रति में सदिनांक पावती अभिरवीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। उपवनक्षेत्रपाल का प्रतिवाद उत्तर प्राप्त होने पर स्पष्ट टीप/अभिमत सहित उप वनमण्डल अधिकारी, (सामान्य) सिहोरा के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करें।



वनमण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल जबलपुर

शान्ति
विकास
च.स. मन्त्र
31/10/23

परिशिष्ट-1

श्री रामलाल तिवारी, उपवनक्षेत्रपाल, तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक -बघराजी, वन परिक्षेत्र कुण्डम (सा0) के विरुद्ध लगाए गए आरोप

आरोप क्रमांक-1 :-

आप श्री रामलाल तिवारी, उपवनक्षेत्रपाल की पदस्थिति वनमण्डल अधिकारी (सामान्य) वनमण्डल जबलपुर के आदेश क्रमांक/665, दिनांक- 10.08.2018 से वन परिक्षेत्र कुण्डम (सामान्य) के अंतर्गत परिक्षेत्र सहायक वृत्त-मनेरा पर की परिक्षेत्र सहायक की हैसियत से की गई थी तथा श्री पन्नालाल विश्वकर्मा, तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक बघराजी के स्थानांतरण उपरांत दिनांक- 30.12.2022 से परिक्षेत्र सहायक वृत्त- बघराजी के अतिरिक्त प्रभार में कार्य सम्पादित कर रहे हैं। आपकी पदस्थिति अर्वाध में परिक्षेत्र सहायक वृत्त- बघराजी की बीट कुन्दवारा में दिनांक-06.07.2023 को वन परिक्षेत्र अधिकारी, कुण्डम (सामान्य) द्वारा कक्ष क्रमांक- आ0व0 293B का निरीक्षण/प्रवास किया गया जिसके दौरान उक्त कक्ष में 02 अतिक्रमक नाम क्रमशः श्री राजकुमार कुलस्ते वल्द बलभद्र कुलस्ते साकिन- कुन्दवारा द्वारा लगभग- 1.21 हेक्टे0 तथा श्री टहल सिंह वल्द हरि सिंह गौड साकिन- कुन्दवारा द्वारा लगभग-0.80 हेक्टे0 वनभूमि पर अवैध अतिक्रमण कर खेती किया जाना पाया गया जिसकी जानकारी आपको होने के उपरांत भी निरीक्षण दिनांक तक नियमानुसार अतिक्रमण प्रकरण न तो स्वयं दर्ज किया गया एवं न ही बीटगार्ड- कुन्दवारा को निर्देशित किया गया। उक्त अतिक्रमण की रोकथाम हेतु नियमानुसार टोस तथा प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई एवं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी उक्त अतिक्रमण के संबंध में सूचना नहीं दी गई।

इस प्रकार आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप वनक्षेत्र में उक्त अवैध अतिक्रमण हुआ तथा पलास (जलाऊ) प्रजाति के 51 वृक्षों की कटाई से शासन को नुकसानी हुई। आपके द्वारा उक्त कृत्य कर शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता व अनुशासनहीनता बरती गई तथा शासकीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का परिचय दिया गया।

इस प्रकार शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता बरतते हुए अनुशासनहीनता व कर्तव्य के प्रति लापरवाही का परिचय देकर आपने म0प्र0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत व्यवहार किया तथा स्वयं को म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया।

वन मण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

परिशिष्ट-2

उन तथ्यों का विवरण जिन पर श्री रामलाल तिवारी, उपवनक्षेत्रपाल, तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक-बघराजी, वन परिक्षेत्र कुण्डम (सा0) के विरुद्ध विभागीय जाँच हेतु लगाए गए आरोप आधारित हैं।

श्री रामलाल तिवारी, उपवनक्षेत्रपाल की पदस्थिति वनमण्डल अधिकारी (सामान्य) वनमण्डल जबलपुर के आदेश क्रमांक/665, दिनांक- 10.08.2018 से वन परिक्षेत्र कुण्डम (सामान्य) के अंतर्गत परिक्षेत्र सहायक वृत्त-मनेरा पर परिक्षेत्र सहायक की हैसियत से की गई थी तथा श्री पन्नालाल विश्वकर्मा, तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक बघराजी के स्थानांतरण उपरांत दिनांक- 30.12.2022 से परिक्षेत्र सहायक वृत्त- बघराजी के अतिरिक्त प्रभार में कार्य सम्पादित कर रहे हैं। आपकी पदस्थिति अवधि में परिक्षेत्र सहायक वृत्त- बघराजी की बीट कुन्दवारा में दिनांक-06.07.2023 को वन परिक्षेत्र अधिकारी, कुण्डम (सामान्य) द्वारा कक्ष क्रमांक- आ0व0 293B का निरीक्षण/प्रवास किया गया जिसके दौरान उक्त कक्ष में 02 अतिक्रमक नाम क्रमशः श्री राजकुमार कुलस्ते वल्द बलभद्र कुलस्ते साकिन- कुन्दवारा द्वारा लगभग- 1.21 हेक्टे0 तथा श्री टहल सिंह वल्द हरि सिंह गौड़ साकिन- कुन्दवारा द्वारा लगभग-0.80 हेक्टे0 वनभूमि पर अवैध अतिक्रमण कर खेती किया जाना पाया गया जिसकी जानकारी आपको होने के उपरांत भी निरीक्षण दिनांक तक नियमानुसार अतिक्रमण प्रकरण न तो स्वयं दर्ज किया गया एवं न ही बीटगार्ड- कुन्दवारा को निर्देशित किया गया। उक्त अतिक्रमण की रोकथाम हेतु नियमानुसार टोस तथा प्रभावो कार्यवाही नहीं की गई एवं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी उक्त अतिक्रमण के संबंध में सूचना नहीं दी गई।

निरीक्षण के दौरान वन परिक्षेत्र अधिकारी, (सामान्य) कुण्डम द्वारा निर्देश दिए जाने के उपरांत ही निरीक्षण दिनांक को आपके द्वारा उक्त अतिक्रमकों के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 1839/07 दिनांक- 06.07.2023 अपराधी श्री राजकुमार कुलस्ते वल्द बलभद्र कुलस्ते निवासी- कुन्दवारा अतिक्रमित क्षेत्रफल लगभग- 1.21 हेक्टे0 तथा वन अपराध प्रकरण क्रमांक- 1839/08 दिनांक- 06.07.2023 अपराधी श्री टहल सिंह वल्द हरि सिंह गौड़, निवासी- कुन्दवारा अतिक्रमित क्षेत्रफल लगभग 0.80 हेक्टे0 का प्रकरण बीटगार्ड- बघराजी से दर्ज कराया गया तथा मौका पंचनामा तैयार कराकर नियमानुसार अन्य कार्यवाही की गई। प्रकरण की प्राथमिक जाँच में आप श्री रामलाल तिवारी, उपवनक्षेत्रपाल को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था0/2944, दिनांक- 21.09.2023 द्वारा आपको लघु आरोप ज्ञापन पत्र जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर आपके पत्र दिनांक- 06.10.2023, वन परिक्षेत्र अधिकारी, कुण्डम (सामान्य) के पत्र क्रमांक/1250, दिनांक- 11.10.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ जो संतोषप्रद नहीं पाया गया।

इस प्रकार आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप वनक्षेत्र में उक्त अवैध अतिक्रमण हुआ तथा पलास (जलाऊ) प्रजाति के 51 वृक्षों की कटाई से शासन को नुकसानी हुई। आपके द्वारा उक्त कृत्य कर शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता व अनुशासनहीनता बरती गई तथा शासकीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का परिचय दिया गया।

इस प्रकार शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता बरतते हुए अनुशासनहीनता व कर्तव्य के प्रति लापरवाही का परिचय देकर आपने म0प्र0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत व्यवहार किया तथा स्वयं को म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया।

वन मण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

परिशिष्ट-3

अभिलेखों की सूची जिन पर आरोप आधारित है :-

1. वन परिक्षेत्र अधिकारी (सा0) कुण्डम के निरीक्षण दिनांक-06.07.2023 के मौका पंचनामा की छायाप्रति।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी (सा0) कुण्डम का पत्र क्रमांक/कुण्डम/995, दिनांक-14.08.2023 की छायाप्रति।
3. वन अपराध प्रकरण क्रमांक/1839/07, दिनांक-06.07.2023 समस्त सहपत्रों सहित छायाप्रति।
4. वन अपराध प्रकरण क्रमांक/1839/08, दिनांक-06.07.2023 समस्त सहपत्रों सहित छायाप्रति।
5. उप वनमण्डल अधिकारी (सा0) सिहोरा का पत्र क्रमांक/उ.व.मं./2029, दिनांक-21.08.2023 की छायाप्रति।
6. उप वनमण्डल अधिकारी (सा0) सिहोरा का पत्र क्रमांक/उ.व.मं./2200, दिनांक-06.09.2023 की छायाप्रति।
7. मौका निरीक्षण/जॉच दिनांक- 05.09.2023 मौका पंचनामा की छायाप्रति एवं दर्ज ब्यानों की छायाप्रति।
8. वनमण्डल अधिकारी, (सामान्य) वनमण्डल जबलपुर का पत्र क्रमांक/स्था0/2944, दिनांक- 21.09.2023

वन मण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

परिशिष्ट-4

साक्ष्यों की सूची जिनके द्वारा आरोप प्रमाणित किया जाना है :-

1. श्री मानिकलाल बरकडे, प्रभारी स0व0स0, उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा
2. श्री महेशचन्द्र कुशवाहा, वनक्षेत्रपाल, वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम (सामान्य)
3. श्री विनय कुमार माकिन, वनपाल, परिक्षेत्र सहायक धनवाही
3. श्री संतुलाल बर्मन, स्थाई कर्मी, निवासी- कुन्दवारा
4. श्री जितेन्द्र
5. श्री रमेश सिंह, निवासी-कुन्दवारा
6. श्री रामजी यादव, निवासी-पटनाकला
7. श्री रामसुजान यादव, निवासी-टिकरिया
8. श्री रविन्द्र सिंह, सुरक्षा श्रमिक, निवासी- कुन्दवारा
9. श्री रामजी यादव, निवासी- टिकरिया
10. श्री हल्कु सिंह, सुरक्षा श्रमिक, निवासी- कुन्दवारा
11. श्री मुलायम सिंह, निवासी- कुन्दवारा

वन मण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल, जबरपुर

PMO - KCI - 290 401 < >
ENR no - MP2001040097 2023

पेशी - 16-10-23

परिक्षेत्र सहायक **बघराजी**

न्यायालय का नाम - न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी

केन्द्रीयकृत पंजीयन क्रमांक -

अभियोग पत्र - परिवाद पत्र

प्रस्तुति की दिनांक	पुलिस थाना अथवा विभाग का नाम	अपराध क्रमांक	धारा एवं अधिनियम का नाम
16/10/23	वन परिक्षेत्र कुण्डम वनमंडल (साठ) जबलपुर	1839/08 डि-06-07-23	भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 26(क) एवं (ज) सहित

पक्षकारों की जानकारी

अभियोजक परिवादी का नाम पिता/पति का नाम उम्र, जाति, निवास	अभियुक्त/अभियुक्तिगण नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, व्यवसाय, निवास का पता	अनु जाति	अनु जन जाति	अ पि वर्ग	सीनियर सिटीजन	विकलांग
वन विभाग, वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम (साठ)	(1) टुलु सिंह पिता हरी सिंह जाति साठिन कुंडवारा पुलिस चौकी बघराजी धारा कुण्डम 3. निवा जबलपुर (साठ)					
परिवादी के संबंध में सही/गलत का निशान लगावें।	4.					
अनु जाति	अनु जन जाति	अ पि वर्ग	सीनियर सिटीजन	विकलांग		


वन परिक्षेत्र अधिकारी,
कुण्डम (सा.)

Fi.No. 29846/2023
 ENR No - MP200/0400942023
 दि. - 16-10-23

पेशी 29-01-24
 61

परिक्षेत्र सहायक बचरजी

न्यायालय का नाम - न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी

केन्द्रीयकृत पंजीयन क्रमांक -

अभियोग पत्र - परिवाद पत्र

प्रस्तुति की दिनांक	पुलिस थाना अथवा विभाग का नाम	अपराध क्रमांक	धारा एवं अधिनियम का नाम
16/10/23	वन परिक्षेत्र, कुण्डम (सा.) वन भंडार जबलपुर (सा.)	1839/07 दि. - 06-07-2023	भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 26(फ) सं. (ज) तहत।

पक्षकारों की जानकारी

अभियोजक परिवादी का नाम पिता/पति का नाम उम्र, जाति, निवास	अभियुक्त/अभियुक्तिगण नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, व्यवसाय, निवास का पता	अनु जाति	अनु जन जाति	अ पि वर्ग	सीनियो सिटीज	विकलांग
वन विभाग, वन परिक्षेत्र अधिकारी, कुण्डम (सा.)	(1) राजकुमार कुंभार S/O बलम देव कुंभार शांति कुंभार पुलिस चौकी बचरजी थाना कुण्डम तहसील कुण्डम जिला - जबलपुर (सा.)					
परिवादी के संबंध में सही/गलत का निशान लगावें।						
अनु जाति	अनु जन जाति	अ पि वर्ग	सीनियर सिटीजन	विकलांग		


 प. अ. क.
 वन परिक्षेत्र अधिकारी,
 कुण्डम (सा.)

